


13/2/23

उत्प्रेषण प्रार्थी अनुपस्थित / कानून लागू
गई- उत्प्रेषण प्रार्थी कानून प्रार्थी उपस्थित
नहीं हुए। अतः प्रकरण कदम दखनी
कदम पंखी में आरोप किया जाएगा
कानून प्रार्थी सुमाट होकर नमूने में
काम हो रहे वर प्रार्थनी 15/2/20 के
लाभ उत्प्रेषण करे जावे


(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़